

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0.

उनवान

बनाम

कालवान

रामकुमार आदि

दावा बाबत :- 888ACT

मुकदमा नम्बर :- 209/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील नैरेन्द्र पन्जार की व प्रतिवादी सं० 1 का वकील
ओर से वकील संजय गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021
को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने
पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं० 237/232 के
खसरा सं० 205, 358, 893 मूल 23-3710 हे वारा नी खोतार
में प्रतिवादी सं० रामकुमार के नाम पर हिस्सा राजस्व रिवाज
में दर्ज है जो प्रतिवादी सं० रामकुमार के नाम पर वादी
कालवान प्रतिवादी सं० रामकुमार प्रतिवादी सं० 2 रामेश कुमार
को हिस्सा वारा वारा के खाते पर काबज कर वैधित्व मिले
जाते हैं। मुक्ति प्रतिवादी सं० 3 ता 5 में अपना सम्पूर्ण
हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में टयाग
कर मुक्त कर लिया है इसलिए टयाग किये गये हिस्से
पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन मुक्त एवं स्वाम्य अधिकारी
अनु करने व यदि कृषि भूमि खतम हो रहे हैं तो हस्ताक्षर
होने के उपरान्त ही राजस्व रिवाज में अपील प्रामाण्य
किता जाये। राधीगाम को डिक्री का लागू पडा जाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़